

(आदेश 20 नियम 6,7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस. सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

1.श्री गणपत लाल पिता देवीलाल धाकड निवासी उम्मेदपुरा तह. बड़ीसादड़ी
- वादी

|| बनाम ||

- 1.श्री देवीलाल पिता उदयराम धाकड नि. जयसिंहपुरा तह.बड़ीसादड़ी
- 2.श्री घनश्याम पिता देवीलाल धाकड नि.जयसिंहपुरा तह.बड़ीसादड़ी
- 3.सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

-प्रतिवादीगण

प्रकरण सं. 64/2021 वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188,183 आर.टी.ए. वादी की ओर से वकील श्री अविनाश कुमार आमेटा और प्रतिवादी श्री विक्रमसिंह राठौड़ की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है।

राजीनामा अनुसार मौजा उम्मेदपुरा की वादग्रस्त आराजी नं.136,138,139, 194,195,196,197,198, 199,200,201 ,202,203,34 कुल कित्ता 14 रकबा 7.17 हैक्टर भूमि में वादी गणपत लाल का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी देवीलाल का 1/4 हिस्सा घनश्याम का 1/4 हिस्सा सोनिया पुत्री देवीलाल का 1/4 हिस्सा घोषित अनुसार राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खातेदारी में अंकन किया जावे। रहन बदस्तुर रहेगा। धारा 53,188,183 की दाद विद्वा की जाती है।

इस वाद के खर्चे..... प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित.....को दी जावे। यह आज दिनांक. 20.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

क्रमांक/राजस्व/2021/ 182

दिनांक:- 28.10.21

मुल ही डिग्री की प्रति तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेजकर लेख है कि डिग्री अनुसार पालना की जाकर पालना से अवगत कराया जावे।



(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

